कार्यालय पुलिस नियन्त्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर

प्रेस नोट
(दिनांक 08.02.2025)
आयुक्तालय जोधपुर

श्रीमान राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में बाल वाहिनियों से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा यातायात नियमों की पालना हेतु दिनांक 08.02.2025 को को वक्त 7:00 एएम से 9:00 एएम तक बाल वाहिनी (बस, ऑटो रिक्शा , टाटा मैजिक या अन्य वाहन) चैकिंग अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर में समस्त वृत सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में समस्त पुलिस थानाधिकारीयों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में बाल वाहिनी(बस, ऑटो रिक्शा , टाटा मैजिक या अन्य वाहन) चैकिंग अभियान के दौरान ओवरलोडिंग, बिना वर्दी चालक, बिना लाइसेंस, शराब पीकर वाहन चलाने, एवं तेज गति / खतरनाक तरीके से बाल वाहिनी वाहन चलाने आदि के संबंध में अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में समस्त वृत अधिकारीयों ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारी एवं पुलिस बल को इस अभियान के संबंध में ब्रीफ कर अलग-अलग टीमें बनाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया।

दौराने अभियान जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र के जिला पूर्व एवं जिला पश्चिम में **30** बाल वाहिनियों का ओवरलोडिंग के चालान, **101** बाल वाहिनी चालकों का बिना वर्दी के चालान, **08** बाल वाहिनियों का तेज गति से चलाने पर चालान कार्यवाही तथा **14** बाल वाहिनियों का अन्य एमवी एक्ट में चालान कार्यवाही की गई।

जोधपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के सभी अभिभावकों /आमजन से आग्रह है कि बाल वाहिनी में निर्धारित क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बिठाना, चालक /परिचालक के दुर्व्यवहार या चालक का शराब के नशे में वाहन चलाना, बिना वर्दी वाहन चलाना तथा तेज गति या लापरवाही तरीके से वाहन चलाना आदि शिकायत होने पर तुरंत स्कूल प्रबंधक/ व्यवस्थापक/ प्रशासन या इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व व्हाट्सएप नंबर 9530440800 पर सूचित करें।

प्रभारी

पुलिस नियंत्रण कक्ष,

आयुक्तालय जोधपुर